महिलाओं के लिए भारत सरकार की योजनाएं

डॉ. योगिता शर्मा, प्राचार्या, जे.बी. शाह गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, झुंझुनू, राजस्थान।

प्रस्तावना

महिलाओं को कानूनी व्यवस्थाओं द्वारा उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप महिलाओं को सशक्त करने के लिये समय –समय पर सरकार द्वारा अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है। किसी भी देश व राज्य के समग्र विकास के लिये महिला व पुरुष दोनों का समान गति से निर्बाध रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है। महिलाएँ समाज की अभिन्न अंग हैं। अतः सामाजिक व आर्थिक विकास की संकल्पना महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण के बिना अधूरी है।

वर्ष 1975 को **अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष** के रूप में मनाए जाने के पश्चात् सरकार ने महिला विकास हेतु विशेष प्रयास किए। सरकार ने वर्ष 2001 को **'राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष'** के रूप में मनाकर महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक दशा को सुधरने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया है।

महिलाओं को सशक्त, अधिकार संपन्न व जागरूक बनाने हेतु देश के संविधान ने महिलाओं के लिये निम्न प्रावधान किये –

अनुच्छेद – 14 : कानून के सक्षम समानता दिलाना।

अनुच्छेद – 15(3) : महिलाओं तथा बच्चों हेतु विशेष सुविधा।

अनुच्छेद – 16 : बिना भेदभाव के नौकरी में समानता।

अनुच्छेद – 19 : समान अभिव्यक्ति।

अनुच्छेद – 21 : प्राण व दैहिक स्वतत्रांता से वंचित न करना।

अनुच्छेद – 23 व 24: नारी क्रय–विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक लगाई।

अनुच्छेद – 39 (घ): समान कार्य समान वेतन।

अनुच्छेद – 39 : में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि, 'राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्राी सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो।

अनुच्छेद – 243(घ) पंचायती राज व नागरीय संस्थाओं में 73वे व 74 वे संशोधन के माध्यम से महिला आरक्षण।

अनुच्छेद – 47 : पोषाहार, जीवन–स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकारी दायित्व।

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 11 Issue:12 in Dec-2022
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR

Copyright (c) 2022 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

अनुच्छेद – 330: 84वें संशोधन द्वारा लोक सभा में महिला आरक्षण।

अनुच्छेद – 332: 84वें संशोधन द्वारा विधान सभा में महिला आरक्षण।

समाज में लैंगिक समानता व महिलाओं के विरूद्व भेदभाव व अत्याचारों की समाप्ति हेतु संवैधानिक निकाय के रूप में '**राष्ट्रीय महिला आयोग**' की स्थापना वर्ष 1992 में तथा '**राज्य महिला आयोग**' की स्थापना 1993 में की गई। यह आयोग महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व कानूनी पक्षों पर विषद चर्चा हेतु संगोष्ठियों, सम्मेलनों व कार्यशालाओं को आयोजित या प्रायोजित करते हुए ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने व सुदृढ करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है।

वतर्मान समय में महिलाओं का सशक्त बनना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। यही वजह है कि भारत सरकार ने महिला और बाल विकास के लिए कई योजनायें बनायीं हैं और इन योजनाओं के तहत जरूरी सहायता प्रदान की जाती है। **इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य बाल और महिला सशक्तिकरण है। ये निम्नलिखित है :–**

राजीव गाँधी किशोरी सशक्तिकरण योजना

इस योजना को २० नवम्बर २०१० में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत ११ से १८ वर्ष की आयु की लड़कियों के स्वास्थ्य पर विशेषकर ध्यान दिया जाता है और उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

उज्जवला योजना

अभी हाल ही में जी न्यूज और टाइम्स नाउ को दिए साक्षात्कार में भी प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ था। अभी भी भारत के लाखों घरों में रसोई बनाने के लिए लकड़ी, किरासिन या अन्य ऐसे अस्वच्छ ईंधन इस्तेमाल होते हैं। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को १००: घरों तक पहुँचाना है। इसके तहत भारत सरकार ने लाखों घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन लगवाए हैं।

स्वाधार योजना

इस योजना के तहत वेश्यावृति, कैद रिहाई, किसी प्राकृतिक आपदा या और कोई भी कारण से बेसहारा, बेघर महिलाओं को भोजन, कपड़ा और आश्रय उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें प्रशिक्षण भी मुहैया करवाया जाता है।

बालिका समृद्धि योजना

इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चियों को मिलता है जिनका जन्म १५ अगस्त ११९७ या उसके बाद हुआ हो और वे गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार में आती हों। इस योजना के चार उद्देश्य हैं –

1.नवजात बच्चियों की तरफ परिवार और समाज के नकारात्मक रवैय्ये में परिवर्तन लाना

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 11 Issue:12 in Dec-2022
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR

Copyright (c) 2022 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

2.विद्यालयों में बालिकाओं के दाखिले की संख्या में बढ़ोतरी, और केवल यही नहीं इसके बाद यह भी सुनिश्चित करना कि वो विद्यालय निचली कक्षाओं की पढ़ाई करके ही न छोड़ दें।

3.लड़कियों की विवाह की औसतन आयु में बढ़ोतरी लाना

4.ऐसे कार्यों में युवतियों की मदद करना जिससे उनकी आय हो सके

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

यह योजना भी बालिकाओं के लिए हीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिकाओं को शिक्षित कर उन्हें सशक्त बनाना है।

महिलाओ के लिए प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

देश में बेटियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को शुरू किया गया है इस योजना के तहत माता–पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए योजना के तहत 250 रूपये से 1.50 लाख रूपये तक निवेश कर सकते है जिस पर भारत सरकार उन्हें 7.6 रूपये की दर से ब्याज प्रदान करेगी. योजना के तहत बेटी के माता–पिता को अपनी बेटी कि आयु 10 वर्ष होने से पहले अकाउंट खुलवाना है

देश कि महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना

भारत सरकार ने देश कि महिलाओ को अपने घर पर रोजगार देने के उद्देश्य से महिला के लिए पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना कि शुरूआत कि है इस योजना के तहत 50,000 हजार महिलाओ को निशुल्क मशीन दी जाएगी. जिससे महिला अपने घर पर कपड़ो कि सिलाई करके रूपये अर्जित कर सकती है जिससे महिला को रोजगार और आय का स्रोत मिल जायेगा.

प्रधानमन्त्री जननी सुरक्षा योजना

देश कि सभी महिलाओ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र कि गर्भवती महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है उन्हें 1400 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और जो शहरी क्षेत्र कि गर्भवती महिलाओ को 1000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इसके अलावा भी महिलाओ को जननी सुरक्षा योजना के तहत वित्तीय सहयता राशी दी जाती है.

पीएम सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

देश कि महिलाओ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को गर्भवती महिलाओ और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं को प्रदान करने के लिए पीएम सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना कि शुरुआत कि है. योजना के अंतर्गत लाभार्थी 6 महीने तक विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं का निशुल्क लाभ उठा सकता है

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 11 Issue:12 in Dec-2022
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR

Copyright (c) 2022 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

विधवा महिलाओ के लिए विधवा पेंशन

जिन महिलाओ के पति कि किसी कारणवश या किसी दुर्धटना में मृत्यु हो गई है तो उन विधवा महिलाओ को हर महीने आर्थिक सहयता प्रदान करने के लिए भारत सरकार 500 रूपये से 1500 रूपये तक कि पेंशन दे रही है लेकिन योजना के तहत महिला कि आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना

इस योजना के तहत 100 फीसदी तक अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं के प्रसव को किया जाता है. ताकि प्रसव के दौरान मां और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जा सके. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को गई थी.

महिला शक्ति केंद्र योजना

यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 को लॉन्च की गई थी. यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए के लिए तैयार की गई है. इस योजना के तहत गांव–गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का किया जाता है.

निष्कर्ष

भारत सरकार द्वारा संचालित वर्तमान योजनाएं महिला विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं लेकिन अभी भी इस दिशा बहुत किया जाना बाकी है। माहिला विकास हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन भी करना होगा ताकि असली जरूरतमंन्द को इनका फायदा मिल सके।

देश व राज्य की खुशहाली व समृद्धि का रास्ता गाँव की गलियों से होकर गुजरता है। इस तथ्य को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के विकास, खुशहाली व समृद्धि के लिये व्यापक गरीबी निवारण व बेरोजगारी उन्मूलन योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी, पारदर्शी व प्रभावी होना चाहिए

सन्दर्भ ग्रन्थं सूची

1. भारतीय संविधन – सुभाष काश्यप, 1978
2. भारतीय संविधन – पी.एम वक्षी, 1999
3. कुरूक्षेत्रा 2006 –महिला सशक्तिकरण

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 11 Issue:12 in Dec-2022
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR

Copyright (c) 2022 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

4. Lxmipathi, Raju (2007) "Women Empowernment Challenges and Strategies" Regal Publicatins, New Delhi

5. डॉ. अनीता मोदी (कुरूक्षेत्र) – महिला सशक्तिकरण सरकारी प्रयास एवं चुनौतियां

6. Thakkar, (1998) "Women, Work and Employment" Economic Political Weekly,

7. मैत्रेयी वृफष्णराज एम लिंग–वार नीति – 'भारतीय महिला किसान' पृष्ठ–98।

8. सुभाष कश्यप – 'हमारा संविधन' भारत का संविधान और संवैधानिक विधि से पृष्ठ–82।

9.मानव विकास रिपोर्ट (2000) यू.एन.डी.पी ऑक्सपफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल्ली।

10.Vishawanthan (1998) Development Orientationry Women's Education", Printwell, Jaipur.

11. Government of India (1974) "TowarosQ Eqaulity, Report of The Committee on the Status of Women in India" Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi

ISSN2277-3630(online),Published by International journal of Social Sciences & Interdisciplinary Research., under Volume: 11 Issue:12 in Dec-2022
https://www.gejournal.net/index.php/IJSSIR

Copyright (c) 2022 Author (s). This is an open-access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License(CCBY).To viewacopyofthislicense, visithttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/